सं०सं०–17/ए 3–16/2006 – 1212(17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक
सभी चिकित्सा महाविद्यालय।

पटना, दिनांक :– 04/11/13

विषय :– संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–164(17) दिनांक–24.02.11 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/बाह्य चिकित्सक जो सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक के पद पर संविदा पर नियुक्त हैं, के अवधि विस्तार हेतु प्राचार्य/अधीक्षक को अधिकृत किया गया था।

विभागीय पत्रांक–705(17) दिनांक–23.08.10 द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के अवधि विस्तार हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–17415 दिनांक–20.12.12 द्वारा संविदा के आधार पर किए जाने वाले नियोजन पर प्रतिबंध लगाने के कारण प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के अवधि विस्तार के संबंध में विभागीय स्तर से निर्देश की मांग की जा रही थी।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–8025 दिनांक–21.05.13 द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों की संविदा नियोजन की प्रक्रिया पूर्व के निर्गत संगत परिपत्रों के अनुसार की जा सकेगी के निर्देश के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–17415 दिनांक–20.12.12 द्वारा संविदा नियोजन पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है।

विभागीय संकल्प सं0–494(17) दिनांक–11.04.2013 द्वारा वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालंदा एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में एम0सी0आई0 के संभावित निरीक्षण को देखते हुए प्राध्यापक/सह प्राध्यापक के पद पर सेवानिवृत्त चिकित्सकों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जायेगा एवं कार्यों के संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को अगले दो वर्षों अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सरकार की स्वीकृति से विस्तारित किया जायेगा, का निर्णय संसूचित है।

अतः विशेष परिस्थिति में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/प्राध्यापक/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर (सेवानिवृत्त नियोजित चिकित्सकों को छोड़कर) का अवधि विस्तार अंतिम रूप से वर्ष 2013–14 तक के लिए संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा किया जायेगा एवं सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक जो संविदा के आधार पर नियोजित है, का अवधि विस्तार सरकार की अनुमति से किया जा सकेगा। न्यायादेश से संबंधित मामले में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा तथा इसकी सूचना विभाग को दी जायेगी।

विश्वासभाजन

ह० 4/11/2013

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

ज्ञापांक– 1212 (17) पटना, दिनांक– 04/11/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (श्री कुमार) के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी, एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 4/11/2013

सरकार के संयुक्त सचिव,